राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प.3 (17) वन/2023 दिनांकः 14.7.2023

आदेश

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 5 (2) के तहत राज्य सरकार के अनुमोदन से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियां अधीनस्थ अधिकारियों को प्रत्यायोजित की जा सकती है।

राज्य में प्रोटेक्टेड एरिया के नेटवर्क में हो रही बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को प्रदत्त शक्तियों को निम्नांकित सारणी में अंकित अधिकारियों को प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन सक्षम स्तर से कर दिया गया है।

APCCF(FP) send copy to all. m/ 17.7.23

क्र.स.	धारा	अधिकारी
1	17 (ख)	संबंधित उप वन संरक्षक
2	17 (ग)	संबंधित उप वन संरक्षक
3	17 (घ)	संबंधित उप वन संरक्षक
4	28	टाईगर रिजर्व के लिए संबंधित क्षेत्रीय निदेशक तथा अन्य अभ्यारणों के लिए संबंधित उप वन संरक्षक
5	33 (क)	टाईगर रिजर्व के अलावा क्षेत्रों में संबंधित मुख्य वन संरक्षक

जिन अधिकारियों को यह शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही है वे इन शक्तियों का उपयोग करते समय दी गई अनुमतियों की प्रति मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।

साथ ही मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक आवश्यकतानुरूप इन अधिकारियों को इन धाराओं के तहत शक्तियों के उपयोग के संबंध में समय-समय पर सामान्य एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकेंगे।

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) अरण्य भवन, जयपुर को सूचना एवं इस आदेश की प्रति सभी संबंधित को प्रेषित करने हेतु
2. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान को इस अनुरोध के साथ कि वे तद्नुसार अपने स्तर से भी नियमानुसार तत्काल आदेश जारी कर सभी संबंधित को इनकी पालना करने हेतु निर्देशित करें।

विशेषाधिकारी

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः एफ.19( )कार्मिक-राज/प्रमुवसं/1144-1280 दिनांक 18/07/23

प्रतिलिपि समस्त वन अधिकारीगणों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

18/7/2023

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशासन),
राजस्थान,जयपुर।